

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालन्दा (बिहारशरीफ)

सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पुनर्नियोजन के संबंध में सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 1948-84/ए.डी. मिस. दिनांक 11.01.2021 के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त तृतीय तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पुनर्नियोजन नालन्दा न्यायमंडल में कार्यरत दो पीठासीन पदाधिकारी, त्वरित न्यायालय, बिहारशरीफ के न्यायालय एवं कार्यालय में सहयोग हेतु किया जाना है ।

उक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, के संकल्प ज्ञापांक 10000, दिनांक 10.07.2015 तथा संकल्प ज्ञापांक 3978, दिनांक 23.03.2018 के अंतर्गत निर्देशित प्रावधान के तहत पात्रता रखनेवाले इच्छुक सेवानिवृत्त तृतीय तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, जिनका अधिकतम उम्र 65 वर्ष हो, दिनांक 01.02.2021 तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपना आवेदन/ बायोडाटा आवश्यक कागजात के साथ संलग्न कर समर्पित करे। बिहार सरकार के संकल्प के संबंध में विस्तृत जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है ।

सूचना की प्रति व्यवहार न्यायालय, बिहारशरीफ एवं हिलसा के सूचना पट पर चरपा किया जाए तथा व्यवहार न्यायालय, नालन्दा के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ।

(डा. रमेश चंद्र द्विवेदी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नालन्दा, बिहारशरीफ ।

366-69 21.01.21
Memo No.
Copy forwarded to
System officer
for information
for name of
G. S. Shari (Nalanda)

(All Communications Should be Addressed to Registrar By Designation and not by Name.)

No. ¹⁹⁴⁸⁻⁸⁴ /A.D.(Misc.), IV-174(PF)-2015

From,

Nawneet Kumar Pandey
Registrar General
HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Fax No. : 0612-2504088
Ph.: Office-P.B.X.-2504071-73, 75 Ext.- 601
2505318-19, 21
Tel. 0612 - 2504111 (O)
Dated: 11th of January, 2021

To,

All the District & Sessions Judges, Bihar

Subject: Regarding extension of the tenure of already re-employed/ fresh re-employment of Class-III & Class-IV Staff, to assist Fast Track Courts.

Sir,

I am directed to say that, having considered the matter on the subject cited above, Hon'ble Court have been pleased to resolve as such:

" The Committee resolves to allow re-employment of Class-III & IV Staff to assist Fast Track Courts. Their services will be co-terminus with the tenure of the Fast Track Courts in which they are employed subject to the prevalent Rules specifically with regard to age limit for such re-employment.

All the District Judges be informed accordingly and be directed to engage already re-employed Staff or to engage subsequently retired Staff for re-employment expeditiously. After finishing the exercise, the District Judges shall inform the Court for approval of the list of all such re-employed Staff."

I am, therefore, to request you to take necessary steps accordingly and send the list of re-employed staff to this Hon'ble Court at the earliest, for approval.

Yours faithfully,


Registrar General

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ संकल्प ॥

विषय:— सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में।

विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला/प्रखण्ड/अंचल में कार्य बोझ (Work Load) तो काफी बढ़ गए हैं पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ कार्यों के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 8025 दिनांक 21.05.2013 द्वारा सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अधीन सभी संवर्गों के रिक्त पदों पर एक वर्ष में नियमित नियुक्ति कर लिए जाने हेतु निदेश निर्गत किये गये हैं। अनेक विभागों में नियमित नियुक्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ भी की जा चुकी है। परंतु कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के कार्य करने की सीमा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही सारी नियुक्तियाँ हो पाना संभव नहीं प्रतीत होता है; यद्यपि इसके लिए काफी सकारात्मक प्रयास भी किये जा रहे हैं।

2. यह सर्वविदित है कि नियमित नियुक्तियों का कोई उचित विकल्प नहीं हो सकता है, परंतु नियमित नियुक्तियों में संभावित अपरिहार्य विलम्ब की अवधि में कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

3. इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा समयक विचारोपरांत विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा पर लिये जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 2804 दिनांक 29.03.2010 द्वारा मार्गदर्शन एवं प्रक्रिया निर्गत किया जा चुका है। कालान्तर में उक्त संकल्प की समीक्षा के क्रम में उसके कतिपय प्रावधानों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अव्यवहारिक हो जाने के कारण सरकार द्वारा उक्त संकल्प एवं उसके तहत निर्गत अन्य संकल्पों/आदेशों को संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जायेगी :—

(1) सभी विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों में संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवा निवृत्त अथवा भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को इस संकल्प की अधोलिखित उप-कंडिकाओं के प्रावधानानुसार संविदा के आधार पर नियोजित किया जा सकेगा।

परंतु संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पदों से भिन्न पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा के आधार पर नियोजन की आवश्यकता होने पर संबंधित विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संलग्न अनुसूची में उक्त पदों को जोड़े जाने की कार्रवाई अलग से की जा सकेगी।

(2) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें लेने के दो तरीके होंगे:-

(क) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का चयन एवं

(ख) पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का चयन।

(क) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का

चयन।— (i) संकल्प की संलग्न अनुसूची में वर्णित पद से भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों का आकलन कर संबंधित विभाग द्वारा इन पदों पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के चयन के लिए इस संकल्प की कंडिका- 3(3) के तहत गठित संबंधित चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी एवं चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही संबंधित विभागों/कार्यालयों के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्रि विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जाएंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा-विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और कार्य संतोषजनक नहीं हाने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चूँकि जिस पद से सरकारी सेवक (आरक्षित/अनारक्षित) सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनका चयन पुनः उसी पद पर किये जाने से संकल्प संख्या-117 दिनांक- 30.09.1995 के आलोक में आरक्षण का अनुपालन स्वतः हो जाएगा अतः ऐसे नियोजन हेतु अलग से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का नियोजन अन्य विभाग एवं जिला में किये जाने से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की आवश्यकता होगी। ऐसे चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ किया जायेगा।

(ख) पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन के लिए-

(i) संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पदों पर पूर्व से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर उनके चयन हेतु संबंधित विभाग/प्रमंडल/जिला द्वारा अपने विभागीय/प्रमंडलीय/जिला के website में तथा समाचार पत्रों के माध्यम से आम विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे और इस प्रकार प्राप्त आवेदन इस संकल्प की कंडिका 3(3) के तहत गठित संबंधित चयन समिति के समक्ष विचार हेतु उपस्थापित किए जायेंगे। संबंधित चयन समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकेगा।

(ii) चयन हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के पूर्व सेवा निवृत्त सरकारी सेवक के संवर्ग नियंत्रि विभाग की सहमति आवश्यक होगी।

(iii) किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जा सकेगा।

(iv) एक विभाग/जिला से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अन्य विभाग/जिला में भी नियोजन के लिए पात्र माने जायेंगे।

(v) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के

लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा-विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

(3) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु निम्न प्रकार से चार स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी :-

(क) राज्यस्तरीय चयन समिति— समूह-‘क’ के पदों पर निम्नवत् गठित राज्यस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर संविदा नियोजन किया जा सकेगा—

- | | |
|--|------------------------|
| (i) मुख्य सचिव, बिहार | —अध्यक्ष |
| (ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | —सदस्य |
| (iii) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | —सदस्य सचिव |
| (iv) संबंधित प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव
जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित
हो | — विशेष आमंत्रित सदस्य |
| (v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत
अ०जा०/अ०ज०जा० के पदाधिकारी, जो
संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों | —सदस्य |
| (vi) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत
अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो
संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों | —सदस्य |

(ख) विभाग स्तरीय चयन समिति— समूह-‘क’ से भिन्न सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों पर संविदा के आधार पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन निम्नवत् गठित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा—

- | | |
|---|----------|
| (i) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | —अध्यक्ष |
| (ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग | —सदस्य |

(iii) संबंधित प्रशासी विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून,
पदाधिकारी, जिनके विभाग में संविदा नियोजन
प्रस्तावित हो – विशेष आमंत्रित सदस्य

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत
अ०जा०/अ०ज०जा० के पदाधिकारी, जो
संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों –सदस्य

(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत
अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो
संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों –सदस्य

(ग) प्रमंडल स्तरीय चयन समिति— ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त अथवा प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा गठित प्रमंडल स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा, जिसमें अनुसूचित जाति के एक पदाधिकारी को सदस्य के रूप में रखा जाना अनिवार्य होगा।

(घ) ऐसे पदों, जिनके नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी हों, पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जा सकेगा। उक्त चयन समिति निम्नवत् होगी—

(i) जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ii) उप विकास आयुक्त – सदस्य

(iii) अपर समाहर्ता – सदस्य

(iv) संबंधित कार्यालय के जिला स्तरीय पदाधिकारी, – सदस्य
(जिनके अधीन संविदा नियोजन प्रस्तावित हो।)

(v) अनुसूचित जाति के उप समाहर्ता स्तर
के एक पदाधिकारी – सदस्य
(जिनका मनोनयन जिला पदाधिकारी करेंगे)

(4) उक्त प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवकों की सेवायें नहीं ली जा सकेंगी :-

(i) जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो।

(ii) जिन पर कोई विभागीय कार्यवाही चल रही हो।

(iii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(iv) जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज हो।

(v) सामान्यतः प्रोन्नति की श्रृंखला वाले पदों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं रहेगी, परंतु संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रोन्नत पद

पर प्रोन्नति अगले एक वर्ष के अन्दर दिया जाना संभव नहीं हो वहाँ ऐसी नियुक्तियाँ उक्त व्यवस्था के अंतर्गत की जा सकती हैं।

(5) नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

(6) (i) संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी वही होगा, परन्तु पेंशन पर मंहंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। मानदेय निर्धारण की यह प्रक्रिया केवल संविदा के आधार पर नियोजन में ही लागू होगी, अन्य किसी प्रकार के पुनर्नियोजन पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(ii) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है।

(iii) पदीय दायित्व को ध्यान में रखकर परिवहन एवं टेलीफोन की सुविधाएँ संबंधित विभाग द्वारा दी जा सकेंगी तथा इस पर निर्णय नियोजन के समय ही संबंधित विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(iv) सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

(7) नई पेंशन योजना से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा बोर्ड/निगम/लोक उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन-

(i) नई पेंशन योजना से आच्छादित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

बोर्ड/निगम/लोक उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन सरकारी विभागों/कार्यालयों में सेवानिवृत्ति के समय धारित पद/समकक्ष पदों पर किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे कर्मियों का चयन भी उपर्युक्त उप कंडिका-(3) में प्रावधानित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा।

(iii) ऐसे संविदा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे-बैंड का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा। परंतु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उस पर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगी। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन+महंगाई भत्ता का योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।


5. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/बोर्ड एवं निगम के कर्मियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भौति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

6. पूर्व से संविदा पर नियोजित कर्मियों के संदर्भ में संकल्प के प्रावधान निर्गत की तिथि से प्रभावी होंगे।

7. पूर्व से इस संबंध में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/पत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।


आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाए तथा इसकी 25 प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अनिल कुमार)


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/एम0-63/2013सा0प्र010000/पटना-15, दिनांक-10.7.2015
प्रतिलिपि -अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



(अनिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/एम0-63/2013सा0प्र0.10000/पटना-15, दिनांक-10.7.2015
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी
विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/एम0-63/2013सा0प्र0.10000/पटना-15, दिनांक-10.7.2015
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त
सचिव एवं सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची

(देखें संकल्प की कड़िका 3(1), 3(2)(क)(i), 3(2)(ख)(i))

पदों का नाम जिनपर सेवा निवृत्त हाने वाले अथवा पूर्व से सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है—

1. राजस्व कर्मचारी
2. पंचायत सचिव (पंचायत सेवक)
3. जन सेवक
4. अमीन
5. अंचल निरीक्षक
6. प्रखंडों में कार्य करने वाले अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी जिनसे बिहार ग्रामीण विकास सेवा एवं बिहार राजस्व सेवा संवर्गों के अधीन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं।
7. ए0एन0एम0
8. ग्रेड 'ए' नर्सज
9. सचिवालय सहायक
10. पैरा मेडिकल स्टाफ, जैसे कि ओ0टी0 असिस्टेंट/ड्रेसर/फार्मासिस्ट आदि
11. जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके अधीन कार्यालयों के लिपिक।
12. सचिवालय संवर्ग के आशुलिपिक एवं क्षेत्रीय कार्यालय (समाहरणालय) के आशुटकक संवर्ग।
13. चालक
14. स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली कार्यालय के सहायक प्रबंधक, परिवहन एवं न्याचार का पद।
15. बिहार मानवाधिकार आयोग में रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार का पद।
16. जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग के लिपिकों, बेंच कलकों, आशुटककों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पद।
17. गृह विभाग के सैनिक कल्याण निदेशालय के अंतर्गत जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में भूतपूर्व सैनिकों के संविदा नियोजन हेतु निम्नवर्गीय लिपिक के पद।
18. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद।
19. बिहार गजेटियर्स, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में शोध पदाधिकारी का पद।
20. जल संसाधन विभाग में जनसम्पर्क पदाधिकारी का पद।
21. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) में उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, मत्स्य निरीक्षक, लिपिक, प्रधान लिपिक एवं चालक का पद।
22. श्रम संसाधन विभाग में बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो में पदाधिकारी का पद।

23. श्रम संसाधन विभाग के बिहार सचिवालय भोजशाला में बियरर, सहायक रसोईया एवं विक्रेता का पद।
24. पर्यावरण एवं वन विभाग के बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद में प्रशाखा पदाधिकारी का पद।
25. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में स्नातक शिक्षकों का पद।
26. उर्जा विभाग में डिग्री धारी सहायक विद्युत अभियंता का पद।
27. विधि विभाग में अभिलेखावाह का पद।
28. सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग), बिहार भवन, नई दिल्ली में कार्यालय परिचारी का पद।
29. पर्यावरण एवं वन विभाग में सहायक वन संरक्षक, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल, वनरक्षी एवं अमीन का पद।
30. योजना एवं विकास विभाग के बिहार राज्य योजना पर्सद के अंतर्गत प्रारूपक का पद।
31. ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यापालक अभियंता का पद।
32. गृह (आरक्षी) विभाग के अधीन वितंतु संचार व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार पुलिस रेडियो संगठन, पटना के साक्षर सिपाही (तक0), सहायक अवर निरीक्षक (तक0), अवर निरीक्षक (तक0) एवं पुलिस निरीक्षक (तक0) स्तर का पद।
33. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के अधीन पुलिस उपाधीक्षक का पद।
34. योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के अन्तर्गत तकनीकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का पद।
35. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सूचना लिपिक, छायाकार, उर्दु सहायक, अनुवादक, वाहन चालक, आशुलिपिक एवं अनुसेवक का पद।
36. सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद।
37. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्नातक शिक्षक का पद।
38. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी का पद।
39. परिवहन विभाग के ट्रेजरी सरकार का पद।
40. गृह (आरक्षी) विभाग के बिहार पुलिस रेडियो संगठन के ऑपरेशनल उप संवर्ग के साक्षर सिपाही (ऑप0), सहायक अवर निरीक्षक (ऑप0), अवर निरीक्षक (ऑप0) एवं पुलिस निरीक्षक (ऑप0) का पद।
41. महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवायें, बिहार के कार्यालय में उप निदेशक बजट एवं लेखा (बि0स0से0 के अवर सचिव के समकक्ष) का पद।

42. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के वरीय लेखा लिपिक, कनीय लेखा लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्नवर्गीय लिपिक, पम्प ऑपरेटर, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बिंग मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन एवं आदेशपाल का पद।
43. स्वास्थ्य विभाग के प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक का पद।
44. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में ट्रेजरी सरकार का पद।
45. गन्ना उद्योग विभाग के अधीन सहायक निदेशक एवं ईख प्रसार पदाधिकारी का पद।
46. योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानिक क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का पद।
47. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के क्षेत्रीय निबंधन कार्यालयों के अधीन कार्यालय अधीक्षक, प्रधान लिपिक, अभिलेखपाल, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद।
48. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कार्यालय परिचारी का पद।
49. खान एवं भूतत्व विभाग में विधि पदाधिकारी पद पद।
50. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के अन्तर्गत राज्य अभिलेखागार निदेशालय एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार के अधीन अभिलेखवाह का पद।
51. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन (क) स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के लिपिक का पद एवं (ख) स्थानिक आयुक्त, बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के स्वागतक-सह-दुरभाष परिचर का पद।
52. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सिविल विमानन निदेशालय में उड़्डन लिपिक का पद।
53. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानिक आयुक्त बिहार, बिहार भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के दुरभाष परिचर का पद।
54. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला का पद।
55. श्रम संसाधन विभाग में संयुक्त श्रमायुक्त; उप-श्रमायुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त का पद।
56. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कृषि गणना प्रक्षेत्र के केन्द्रीय योजना स्कीम के अन्तर्गत सृजित पदों यथा संयुक्त निदेशक; उप निदेशक; सहायक निदेशक; सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सांख्यिकी सहायक का पद।
57. बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव एवं अवर सचिव का पद।
58. अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग के अधीन क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों के लिपिक-सह-टंकक का पद।
59. वाणिज्य-कर विभाग में वाणिज्य-कर विभाग के बिहार वित्त सेवा के सभी कोटि के पदाधिकारी।

60. सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी का पद।
 61. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन संकलक का पद।
 62. ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन अधीक्षण अभियंता संवर्ग के संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी का पद।
-

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ संकल्प ॥

विषय:- सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में संशोधन के संबंध में।

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा पर नियोजन का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में किया गया है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका-3(2)(क)(v) एवं 3(2)(ख)(v) में निम्न प्रावधान है:-

चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा-विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परन्तु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।"

3. उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में संविदा पर नियोजित कर्मियों की 65 वर्ष की आयु पूरी होने के उपरांत नियोजन अवधि का विस्तार करने हेतु वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति अनिवार्य है।

4. विभिन्न विभागों, समाहरणालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से 65 वर्ष के बाद संविदा नियोजन की अवधि विस्तार से संबंधित कतिपय प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति हेतु संचिकाएँ प्राप्त होती हैं। इस क्रम में काफी समय लग जाता है तथा कभी-कभी संविदा अवधि समाप्ति के बाद प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।

5. प्रासंगिक मामले में सम्यक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका-3(2)(क)(v) एवं 3(2)(ख)(v) में प्रयुक्त वाक्यांश "वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से" को निम्नांकित वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है -


"समूह 'क' के संविदा नियोजित कर्मियों के संदर्भ में राज्य स्तरीय चयन समिति, विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में संविदा- नियोजित कर्मियों के संदर्भ में विभाग स्तरीय चयन समिति तथा प्रमंडल/समाहरणालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा- नियोजित कर्मियों के संदर्भ में प्रमंडल स्तरीय चयन समिति की सहमति से"

6. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।


7. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाए।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजेन्द्र राम) 23/3/18
सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक- 3/एम0-63/2013सा0प्र0.3978/पटना-15, दिनांक- 23.3.2018
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई-गजट कोषांग), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(राजेन्द्र राम) 23/3/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/एम0-63/2013सा0प्र0.3978/पटना-15, दिनांक- 23.3.2018
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र राम) 23/3/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/एम0-63/2013सा0प्र0.3978/पटना-15, दिनांक- 23.3.2018
प्रतिलिपि- प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र राम) 23/3/18
सरकार के अपर सचिव